(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. *See* No. LT.7788/95]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Technical Teachers Training Institute, Chandigarh, for the year 1993-94, together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. *See* No. LT.7786/95]

(vi) (a) Annual Report of the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, for the year 1993-94.

(b) Review by Government on the working of the above Sansthan.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. *See* No. LT.7787/95]

(vii) (a) Annual Accounts of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 1993-94 and the Audit Report thereon under sub-section (4) of section 28 of Jamia Millia Islamia Act, 1988.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. *See* No. LT.7675/95]

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT AND TOURISM

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): मैं राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में विभाग-संबंधित परिवहन और पर्यटन संबंधी संसदीय स्थायी समिति का समवर्ती प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) प्रस्तुत करता हूं।

EVIDENCE TENDERED BEFORE THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT AND TOURISM

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): मैं राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में विभाग संबंधित परिवहन और पर्यटन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held on Thursday, the 25th May, 1995 allotted time for Government Legislative business as follows:—

BUSINESS	TIME ALLOTTED
Consideration and passing of the following Bills:—	
(1) The Assam University (Amendment) Bill, 1994.	1 Hour
(2) The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1995.	1 Hour
(3) The Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 1994.	3 Hour
(4) The National Environment Tribunal Bill, 1992, as passed by the Lok Sabha.	2 Hour

(5)	The National Highways (Amendment) Bill, 1995, after it has been passed by the Lok Sabha.	1 Hour
(6)	The Yoga Undertaking (Taking over of Management) Bill, 1994.	30 Minutes

The Committee recommended that in order to complete the Government Business, the House should dispense with the Lunch Hour, each day from Monday, the 29th May, 1995 onwards for the remaining part of the current Session.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): मैडम, इसमें क्रिमिनलल्ज अमेंडमेंट का उल्लेख नहीं है?

उपसभापति: क्रिमिनलल्ज अमेंडमेंट का नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: तो क्या मतलब सरकार अगले हफ्ते भी उसको नहीं ला रही है? अगर इसके लिए कोई टाईम ही अलाटेड नहीं है तो यह जो चव्हाण साहब, लीडर आफ् द हाउस यहां बैठे हैं वह पोज़ीशन को एक्सप्लेन करें कि क्या इरादा है?

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण): इसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने टाईम तो मुकर्रर किया है लेकिन असल दिक्त जो है वह इस प्वायंट के ऊपर है कि हम कंसेंसस डिवैलप करने की कोशिश में हैं। वह अगर जल्दी हो जाती है तो बिज़नैस में उसका भी यहां अंतर्भाव हो सकेगा, ऐसी मेरी जानकारी है।

उपसभापति: हम बीच में कभी एनाउंस कर देंगे। ...(व्यवधान) शंकर दयाल जी। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): गृह मंत्री जी बहस का जवाब देते हुए जो आफीशियल अमेंडमेंटस आप लाये थे क्या वे कंसेंसस पर बेस्ड नहीं थीं? ..(व्यवधान) एक मिनट, शंकर दयाल जी। गृह मंत्री जी, अभी आपने कहा कि आप कंसेंसस इवाल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए जो आफीशियल अमेंडमेंट्स आप लाये थे क्या वे कंसेंसस पर आधारित नहीं थीं? ...(व्यवधान) 8 अमेंडमेंट्स आप लाए थे, क्या वे कंसेंसस पर आधारित नहीं थीं? वे किस पर आधारित थीं? आखिरकार सरकारी थीं और आपने बहस का जवाब देते हुए कहा ...(व्यवधान) जो सब के अमेंडमेंट्स हैं ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, Yesterday, they staged a walk-out. How can they raise it today?

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं कि जिस समय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सारे सजेशंस को एक साथ लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, मगर "पिथ एंड सब्सटेंस" को लेकर मैं यह अमेंडमेंट्स मूव कर रहा हूं। तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब सब की "पिथ एंड सब्सटेंस" लेकर, यह मैं आपके शब्द लेकर कह रही हूं, आप ने 8 अमेंडमेंट्स स्वीकार किए थे तो क्या वह कनसेंसस पर आधारित नहीं थे?

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are not taking up the Bill.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम वह जवाब देने जा रहे है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not stopping him.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, they had walked out yesterday *...(Interruptions)...* They have no right to raise it today *...(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, वह खड़े हो रहे थे। वह उठ रहे थे।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT): Madam, can we go back at this stage? *...(Interruptions)*.....They had taken up the Bill *...(Interruptions)...* Can we go back now-?*...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I am on a point of order *...(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि पूरे बिल पर बहस हो जाए, बहस पर सरकार का जवाब भी आ जाए और फिर उसकी वोटिंग "डेफर" होते-होते इतनी देर हो जाए कि वह आइटम ही निकाल दिया जाए? मैं पूछना चाहती हूं आपसे?

श्री सिकन्दर बख्त: क्या हो गया है? How can we go back *...(Interruptions)...*

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, yesterday there was a Calling Attention Motion. It is a very important issue ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं पूछना चाहती हूं गृह मंत्री जी कि जिस बिल का जवाब सरकार दे चुकी हो ...(व्यवधान)...

श्री सिकन्दर बख्त: तमाशा बना दिया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: If he wants to reply, he can. But I cannot force him to answer ...*(Interruptions)*... There is a privilege matter which a Member wants to raise. It takes precedence over other business. I cannot force the Leader of the House to say somehing ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सारी संसदीय प्रक्रिया को ताक पर रखकर आप किस प्रजातंत्र ...(व्यवधान)... आप ने जवाब दे दिया और जब केवल वोटिंग होनी थी, आपने आयटम डेफर कर दिया ...(व्यवधान)...

उपसभापति: अच्छा आप ने अपनी बात कह दी, अब उन्हें जवाब देना होगा तो वह देंगे।

SHRI MD. SALIM: They had opposed the Bill. Now they want to bring it early ...*(Interruptions)*... This is historic.

श्री सुंदर सिंह भंडारी: मैडम, जब 22 तारीख को यह बिल पास किया गया था।

SHRI MD. SALIM (West Bengal): They had opposed it ...*(Interruptions)*...

श्री सुंदर सिंह भंडारी: तो यह कहा गया था कि 23 को टाइम समाप्त हो रहा है, इसलिए हम इसे लाए हैं। तो अब क्या हो गया? क्या टैरिज्म का संकट समाप्त हो गया है?

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): मैडम यह क्या व्यवस्था है, जिसे होम मिनिस्टर पूरा कर चुके हैं, वह संसद के विचारार्थ रखा जा चुका है। ...(व्यवधान)...

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): उपसभापति जी ...(व्यवधान)

उपसभापति: यह प्रिविलेज की बात कर रहे हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह: मैडम आप ने मेरा नाम पुकारा मैं खड़ा हुआ, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुन लें।

उपसभापति: यह प्रिविलेज का मैटर है। मैं आप का नाम पुकारूंगी। आप का "जीरो अवर" का मैटर है। प्रिविलेज का मैटर कागज पर नोट नहीं होता है, इसलिए मैं ने उनका नाम नहीं पुकारा लेकिन जब उन्होंने खड़े होकर कहा कि मेरा प्रिविलेज का मैटर है तो मैंने उन को प्रिफरेंस दी कभी आप का प्रिविलेज का मैटर होगा तो आप को भी सब के ऊपर प्रिफिरेंस दूंगी। अब उन के बाद ही आप को बुलाऊंगी क्योंकि आप की भी कोई बात है, डेफिनेटली बुलाऊंगी।

श्री जगेश देसाई: उन के बाद मुझे बुला लीजिए।

उपसभापति: मैं आप को गारंटी नहीं दे सकती, उन के बाद या इस के बाद। I cannot give any guarantee. I am not bound. I cannot finish like this. It will be entirely at my discretion ...*(Interruptions)* ...What is your privilege? I have to call Shankar Dayal Singh ...*(Interruptions)*... He looks very agitated ...*(Interruptions)*...

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): I will be very brief, Madam. I intend to bring a privilege motion against the journalist under whose byline a matter has been reported in the *Pioneer* of 25th May. They matter related to granting of loans by a commercial bank to such persons who constitute the 'stickly account'. Earlier also, it had been widely reported in the Press that the RBI had prepared a list of people who account for about Rs. 30,000 crores of non-performance asset.

Subsequently, a circular was sent to different commercial banks saying that these accounts should not be ...*(interruptions)*... These accounts are sticky in nature, dubious in nature. Its earlier reports did not mention any name. But in yesterday's report, the first name was that of Mr. Jitendra Prasada who is an hon. Member of this House. Therefore, I